



**NOTICE FOR ELECTION OF DELEGATES OF
THE CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.,
BYCULLA,
MUMBAI 400 027.
FOR FRESH TERM OF FIVE YEARS i.e.
2024-2029.**

दि सेंद्रल रेलवे एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, भायखला, मुंबई 400027 के
प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु अधिसूचना
5 वर्ष की नई अवधि अर्थात
2024 से 2029 के लिए

RETURNING OFFICER
THE CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.,
BYCULLA
MUMBAI 400 027.

Ref. No. 84/EOD/2024-2029/

NOTICE FOR ELECTION OF DELEGATES OF
THE CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.,
BYCULLA, MUMBAI 400 027.
FOR FRESH TERM OF FIVE YEARS i.e. 2024-2029.

I, Vinita Verma, the Chief Personnel Officer (Admn), Central Railway and **RETURNING OFFICER, for THE CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.,** Byculla, Mumbai 400 027., hereby notify the Election Programme for Election of Delegates, as per the Election Schedule approved by the Board of Directors of **THE CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.,** in accordance with the provision, as laid down in the Rules Governing Election of Delegates, as approved and registered by the Central Registrar, Co-operative Societies, Ministry of Co-operation, New Delhi.

2. The number of Delegates that will be required to represent all the 64 constituencies of the Society are as under:-

Sr. No.	NAME OF THE CONSTITUENCY	LIMITS	NO.OF DELEGATES. (No. of vacancies)
1.	Mumbai C.S.M.T.	All Shareholders working in the area between Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (Inclusive) and Masjid (Exclusive), including Shareholders in EMB Society, in Statutory Audit Office and those in Metropolitan Transport Project (Railways), Mumbai	14 Genl. 01. Woman. 01. SC or ST Total 16
2.	Wadi Bunder	From Masjid Station to Sandhurst Road Station (Including) to Chunnabhati Station (Including) King Circle Station, all shareholders of all depots Wadi Bunder, Haji Bunder and Mazgaon.	03
3.	Byculla	All shareholders of all Departments stationed at Byculla and Sandhurst Road Station (Excluding) including those of Medical Department, Printing Press, S&T Workshop and Parcel Depot, Byculla.	05
4.	Parel	From Byculla Station (Excluding) to Matunga (Including) and General Stores Depot, Parel, Offices located in the Loco Office Bldg., at Parel but excluding those working in the Loco Workshop, Parel and C&W Workshop, Matunga	03
5.	Parel Workshop	All Shareholders working within the premises of the Loco Workshop, Parel including Associates Stores Depot Shareholders, Electrical Depot, Accounts Office Shareholders and R.P.F. Shareholders.	06. Genl. 01. SC or ST Total 07
6.	Matunga Workshop.	All Shareholders working within the C&W Workshop including Associates Stores Depot Shareholders, Elect Dept., Accounts and R.P.F. shareholders.	11. Genl. 01. Woman Total 12
7.	Kurla.	From Matunga Station (Excluding) to Mulund (Including) and Kurla to Mankhurd (Including) and Trombay Section shareholders, including shareholders of carshed, Diesel shed, Kurla Shareholders of all Depots of LT (T).	09. Genl. 01. SC or ST Total 10



8.	Thana	From Mulund (Excluding) to Dombivali (Including); shareholders of Diva-Vasai Section, Thane - Vashi (Including) Sanpada Carshed and Kalwa carshed.	05
9.	Panvel	Divia (Excluding) to Roha (Including), Pen-Thal Section, Panvel - Jasai Section, Panvel-Uran Section, Jui Nagar to Panvel Section.	03
10.	Kalyan	Dombivali (Excluding) to Ulhasnagar (Including) on South East Line to Kasara (Including) on North East Line.	08. Genl. 01. Woman 01. SC or ST Total 10
11.	Karjat	From Ulhasnagar station (Excluding) to Palasdhari station (Including) shareholders of Karjat-Khopoli Section and Neral - Matheran Section and Karjat-Panvel Section (Excluding) Panvel Station.	02
12.	Lonavala	From Palasdhari station (Excluding) to Lonavala Station (Including); excluding shareholders of Pune Division stationed at Lonavala.	02
13.	Igatpuri.	From Kasara Station (Excluding) to Igatpuri Station (Including) except Bhusawal Division shareholders stationed at Igatpuri.	02
<u>PUNE DIVISION</u>			
14.	Dehu Road.	From Lonavala (Excluding) to Shivaji Nagar (Including) and Shareholders of Pune Division stationed at Lonavala.	01
15.	Pune	Shivaji Nagar (Excluding) to Ghorpuri Station (Including) and Shareholders of the IRICEN, Ghorpuri, Diesel Shed and all the Departments in Ghorpuri and Pune.	05. Genl. 01. Woman 01. SC or ST Total 07
16.	Loni	From Hadapsar (Including) to Daund (Excluding), Daund Baramati Section and shareholders of Pune Division stationed at Daund.	01
17.	Miraj	From Ghorpuri (Excluding) to Kolhapur (Chhatrapati Shahu Maharaj Terminus)	02
<u>SOLAPUR DIVISION</u>			
18.	Daund	All shareholders of Daund Station (Including) to Jeur Station (Including), except shareholders of Pune Division stationed at Daund. All Shareholders from Daund to Ranjangaon (Including)	03
19.	Ahmednagar	From Ranjangaon (Excluding) to Ankai (Excluding) Section Shareholders.	01
20.	Kurduwadi	From Jeur Station (Excluding) to Malikpeth Station (Including), Pandharpur-Latur and Kurduwadi-Miraj Section Shareholders.	03
21.	Solapur	From Malikpeth Station(Excluding) to Dudhani Station (Including)	03. Genl. 01. Woman 01. SC or ST Total 05
22.	Wadi	From Dudhani Station (Excluding) to Wadi Station (Including).	02

BHUSAWAL DIVISION.			
23.	CWM/ TMW Nasik	All Shareholders working under Chief Workshop Manager Nasik, Traction Motor Workshop, Nasik, Shareholders under WAAO (TMW) AMM -D (TMW) RPF at TMW (W/S), Nasik Road, Director IREEN Nasik Road, Rly. Hospital Nasik Road, MSEB siding Eklahara, CHI (TMW), RPF Training Center Nasik, DMO (TMW) Staff.	01
24.	Nasik Road	From Igatpuri Station (Excluding) to Niphad Station (Including). Shareholders working at Eklahara, and Shareholders of Bhusawal Division stationed at Igatpuri.	02
25.	Manmad	From Niphad Station (Excluding) to Manmad (Including) Manmad to Ankai (Including) to Manmad Daund Section.	02
26.	CWM(E/W) Manmad	All Shareholders working under CWM(E/W) MMR, XEN B&F, MMR, SMM(MD) MMR, SI RPF(E/W) MMR, WAAO staff (E/W)MMR & Civil Engineering Workshop.	01
27.	Nandgaon	From Manmad Station (Excluding) to Nandgaon (Including).	01
28.	Chalisgaon	From Nandgaon (Excluding) to Chalisgaon station (Including) and Chalisgaon Dhule Section.	01
29.	Pachora	From Chalisgaon Station (Excluding) to Shirsolli Station (Including); also Pachora-Jamner Narrow Gauge Section.	01
30.	CWM(ELW) Bhusawal	All Shareholders working under CWM (ELW), Dy.CMM (ACL), WAAO (POH) Staff, Sr. EDPM (POH) Staff, Aritisan (POH) Staff Bhusawal	02
31.	Bhusawal	From Shirsolli Station (Excluding) to Bhusawal Station (Including) and Zonal Training Centre, Bhusawal.	13 Genl. 01 Woman 01 SC or ST Total 15.
32.	Khandwa	From Bhusawal Station (Excluding) to Khandwa Station (Including).	03
33.	Akola	From Bhusawal Station (Excluding) to Akola Station (Including) and Jalamb-Khamgoan Section Shareholders.	03
34.	Murtizapur	From Akola Station (Excluding) to Murtizapur Junction (Including) as well as shareholders of Murtizapur-Yeotmal, Achalpur Narrow Gauge Section.	01
35.	Badnera	From Murtizapur Junction (Excluding) to Badnera Station (Including) and Badnera-Amravati Section shareholders.	02
<u>NAGPUR DIVISION</u>			
36.	Pulgaon	From Badnera Station (Excluding) to Wardha Station (Excluding) and Pulgaon Arvi Narrow Gauge Section.	01
37.	Wardha.	Wardha (Including) to Khapri , Buti Bori (Including) to Umrer and Wardha to Hinghangaht (Excluding).	02
38.	Ballarshah.	Hinghangaht (Including), Ballarshah, Majri, Wani-Pimpalkuti, Tadali-Ghugus.	03
39.	Nagpur	Khapri Station (Excluding) to Godhani Station (Including) Ambazari, all establishment of all Departments at Nagpur proper.	10 Genl. 01 Woman 01 SC or ST Total 12
40.	Amla	Betul (Excluding) to Godhani and Narkher(Including) to Amravati (Excluding)	03

41.	Ghoradongre	Ghoradongre, Betul (Including) to Itarsi.- (Excluding)	01
42.	Junnerdeo	From Amla Junction (Excluding) to Chhindwara (Including).	01
JABALPUR DIVISION			
43.	Pipariya	Itarsi (Excluding) to Narsinghpur (Excluding) and shareholders of Jabalpur Division stationed at Itarsi.	01
44.	Jabalpur	From Narsinghpur (Including) to Katni (Excluding)	10 Genl. 01 Woman 01 SC or ST Total 12
45.	Katni	From Katni Station (Including) to Maihar Station (Excluding),Katni-Singrauli shareholders and Katni Murwara Section shareholders.	09
46.	Satna	Maihar Station (Including) to Manikpur (Excluding), excluding shareholders of Jhansi Division shareholders, Satna-Rewa Section.	04
47.	Damoh	Katni-Murwara Station (Excluding) to Bina Junction (Excluding).	03
<u>BHOPAL DIVISION</u>			
48.	Harda	From Khandwa Station (Excluding) to Timarni Station (Excluding)	01
49.	Itarsi	Itarsi Station proper, Itarsi New Yard Shareholders, Diesel Shed Shareholders, Itarsi and Itarsi to Timarni Station (Including)	08
50.	Bhopal	From Itarsi Station (Excluding) to Bareth (Including) and Sant Hirdaram Nagar (Bairagarh) station & Shareholders in Railway Recruitment Board, Bhopal, RCT as well as Shareholders of WCR deputed to IRCTC and other Railway Corporations at Bhopal working at Bhopal.	07 Genl 01 Woman 01 SC or ST Total 09
51.	Bhopal C.R.W.S.	All shareholders working under C.W.M., C.R.W.S. Bhopal and shareholders, who are associates staff of stores, electrical and accounts.	04
52.	Guna	From Mungawali (Excluding) to Maksi (Excluding) to Gwalior (Excluding).	03
53.	Bina	From Bareth (Excluding) to Mungawali Station (Including).	04
<u>JHANSI DIVISION</u>			
54.	Jhansi	From Bina Station (Excluding) to Sithouli station (Excluding) of Divisional Offices, Loco Shed and Diesel Shed, Yard shareholders/including Jhansi (VGLJ) the shareholders working under C.P.I.W. (North) Jhansi(VGLJ) i.e. up to Sithouli as well as shareholders of Jhansi(VGLJ), Kanpur Section including the Branch line of Ait-Kunch Section	17. Genl 01 Woman 01 SC or ST Total 19
55.	Jhansi Workshop.	All Shareholders of All Departments working within the Jhansi Workshop. All shareholders in Accounts and at Staff System Technical School, Jhansi and shareholders at S.E.E. in Jhansi Workshop and Audit and shareholders working at Dispensary in the Workshop, excluding Associates Stores, Electrical Department and RPF shareholders.	07

56.	Jhansi Workshop/ Coach Midlife Rehabilitation Workshop Constituency. (Jhansi Workshop/CMLR Constituency)	All Shareholders of all Departments working in Associate Stores/ MLR Workshop, RPF Staff and Electrical Staff.	01
57.	Gwalior.	From Antri Station (Excluding) to Dhaulpur (Excluding), Gwalior-Bhind (Excluding) Etawah Station and Gwalior- Shivpur-Kalan Narrow Gauge Section Shareholders.	05
58.	Banda	Virangana Lakshmibai Jhansi (VGLJ) (Excluding) to Manikpur Junction (Excluding) Khairar Junction to Bimsen Station (Excluding)	03
59.	Manikpur	From Chithara Station (Including) to Naini (Excluding)	01
<u>AGRA DIVISION</u>			
60.	Agra Cantt	From Dhaulpur (Including) to Raja-ki-Mandi (Including), shareholders of Tundla-Bayana Section and shareholders of Agra Fort-Bandikui Section as well as the Shareholders of Dhaulpur-Sirmutra and Mohari-Tantpur Narrow gauge section, "Bhandai to Etawah (Excl)"	06 Genl. 01 Woman 01 SC or ST Total 08
61.	Mathura	From Raja-ki-Mandi Station (Excluding) to Mathura (Including), Mathura (Including) to Alwar (Excluding), Mathura (Including) to Achnera (Excluding), Mathura (Including) to Brindawan Section.	04
62.	Kosikalan	Ajai (Including) to Palwal (Excluding)	01
<u>KONKAN RAILWAY CORPORATION LTD.</u>			
63.	Ratnagiri	From Belapur (Inclusive) to Madure (Including).	02
64.	Karwar	From Madure (Excluding) to Thokur (Including)	02
		Total	274

Provided further that, there will be a reservation of one post of Delegate for woman candidate and one post of Delegate for either SC or ST candidate out of the total Delegates that will represent from each of the Divisional Head Quarters Constituency, except for Mumbai Division.

For Mumbai Division, within the Mumbai Municipal Limits i.e. upto Mulund, there will be a reservation of one post of Delegate for woman candidate and one post of Delegate for either SC or ST Candidates in the constituencies, as detailed below :-

Woman Category :- Within Mumbai Municipal Limits i.e. Upto Mulund

1. Mumbai CSMT. Constituency
2. Matunga Workshop Constituency.

Candidates belonging to either SC or ST - within Mumbai Municipal Limits i.e. Upto Mulund

1. Mumbai CSMT Constituency
2. Parel Workshop Constituency
3. Kurla Constituency



Woman Category - beyond Mumbai Municipal Limits i.e. beyond Mulund.

1. Kalyan Constituency.

Candidates belonging to either SC or ST - beyond Mumbai Municipal Limits i.e. beyond Mulund.

1. Kalyan Constituency.

The candidates contesting in the Reserved Category i.e. SC or ST, are required to mention that he/she is belonging to SC or ST Category mentioning the caste, which is further required to be forwarded by the Pay sheet Preparing Unit/Controlling Officer/Depot In charge **and required to submit the Caste Certificate, duly attested by the Gazetted Officers . The Nomination form submitted without Caste Certificate is liable to be rejected.**

The candidate contesting in the Woman category is also required to mention and declare that she is contesting against Woman Category in the Constituencies earmarked for

“ Woman category”.

3. Only those shareholders, who have put in not less than 6 months' membership as on 31st March 2024, whose names appear in the Electoral Rolls (or supplementary/correction slips issued thereto) prepared by the Society and who comply with the conditions laid-down in Rule 5(a) of the Rules Governing Election of Delegates (re-produced below) are requested to submit their Nominations for contesting in Form 'A' (Annexed herewith).

4. Selection of symbols should be from and out of the symbols, as mentioned below. **The symbols other than, as mentioned below, if chosen, the Nomination form is liable to be rejected.**

AEROPLANE	BANAYAN TREE	BELL	BUS	COW
CUPBOARD	DHAAL-TALWAR	HAMMER	HORSE	HUT
LAMP	LION	MOTOR	NAGARA	PEN
RABBIT	RISING SUN	ROSE	SCALE	SHIP
TABLE FAN	TELEPHONE	TELEVISION	TRACTOR	UMBRELLA

The contesting candidates can obtain the Nomination Form 'A', as per the specimen, from the Branch Managers of the Society, as well as from the Head Quarters Office.

The Nominations in Form 'A' , duly filled in, should be submitted to the Society's Head Quarters Office at 665-A. N.M. Joshi Marg, Byculla, Mumbai 400 027 so as to reach on or before **Friday, the 3rd May 2024 - 17.00 Hrs.**

The Nominations received after that date will not be entertained.

Candidates intending to send their Nominations by post, should send the same by Registered Post or Speed Post only, so as to reach, the Society's Head Office at the address, as above, by the prescribed date and time, as stated above. No plea about the postal delay will be accepted.

Rule 5(a) of the Rules Governing Election of Delegates of the Society.

Every candidate for nomination as Delegate shall comply with the following conditions.

- i) He/She shall file his/her nomination paper in Form 'A', appended to these Rules.
- ii) He/She, along with the two other shareholders who subscribe his/her nomination form as proposer and seconder, must be stationed in the same constituency he/she proposes to represent.
- iii) The candidate, his/her proposer and seconder shall be shareholders with not less than six months' membership of the Society as on 31st March of the year in which the election is held.



- iv) He/She shall subscribe regularly to the C.M.T.D. Scheme of the Society.
- v) His/Her conduct shall not attract the provision of Bye-Law 16.
- vi) He/She should not be a willful defaulter for a period of 3 months in payment of his/her personal loan and/or in subscribing towards C.M.T.D. Scheme of the Society, since the last loan granted to him/her, on the day of filing the nomination.
- vii) He/She shall specify the symbol adopted by him/her, from out of those offered by the Society.
- b) If the number of identical symbols specified by the candidates exceeds the required number of vacancies in any constituency, the Returning Officer shall have the right to regulate that number by allotting other symbols to any of the candidates.
- c) In submitting a nomination for a Delegate, the candidate should ensure that in the event of his/her election, his/her association with the Society causes as little interference with Railway work as is possible in the circumstances.

5. The Election Programme will be as under:-

Sr.No.	Stages	Day/Date	Time
1.	Filing & Receiving of Nominations	From Wednesday, the 10 th April 2024 to Friday, the 3 rd May 2024.	From 10.00 A.M. to 17.00 Hrs. on working days.
2.	Scrutiny of Nomination Forms	From Friday, the 10 th May 2024 to Tuesday, the 21 st May 2024	During normal working hours of the Society.
3.	Publication of Valid Nominations	Wednesday, the 22 nd May 2024.	Before 17.00 Hrs.
4.	Communication of Reasons/Grounds for rejection of Nominations.	From Monday, the 27 th May 2024 to Thursday, the 30 th May 2024.	During working days up to 17.00 Hrs.
5.	Receiving of Representations, if any, for rejection of nominations	From Tuesday, the 4 th June 2024 to Friday, the 7 th June 2024.	-Do-
6.	Last date of withdrawal of Nomination Forms.	Tuesday, the 11 th June 2024.	Up to 17.30 Hrs.
7.	Declaration of final list of Contestants.	Wednesday, the 12 th June 2024	Up to 17.30 Hrs.
8.	Date of Election	Wednesday, the 26 th June 2024.	-----
9.	Date of counting of votes	Thursday, the 27 th June 2024	-----

6. With a view to avoid impersonation, it has been decided that the shareholders should bring any one of the following identifications at the time of voting.

- i) The Photo Identity Card i.e. (Aadhar Card, Motor Driving License, Pan Card, Pass Port etc. (any one of the same)
- ii) Railway Identity Card;
- iii) Residential Card Pass must be accompanied with bearer letter issued by the Department with signature of the shareholder and photograph duly attested.
- iv) Medical Card,
- v) Share Certificate issued by the Society with a bearer letter issued by the Department with duly appended signature of the shareholder across the photo affixed on it or;
- vi) A bearer letter issued by the Department with duly appended signature of the shareholder across the photo affixed on it.



For a smooth and fair conduct of Election, it has been decided that the shareholder should vote at the decided/notified area covered by the Polling Booths.

As Notified above, as per the Election Programme, the Date of Election is **Wednesday, the 26th June 2024.**

7. After the result of the scrutiny of Nomination Forms by the Scrutiny Committee:-

- 1} In case the number of valid nominations received in particular constituency exceeds the required number of vacancies, Election in the concerned constituency will take place. Names of candidates eligible to contest the Election together with the symbols chosen by them will be published.
- 2} Candidates can choose a symbol of their choice in the nomination paper. Thereafter, they can form their group to contest as one "Panel" on a Common Symbol and make a joint written request to that effect, which will be considered by the Returning Officer to the extent feasible. The decision of the Returning Officer in this connection will be final and binding.
- 3} If the number of identical symbol specified by the candidates exceed the required number of vacancies in any constituency, the Returning Officer shall have the right to regulate that number by allotting other symbols to any of the candidates.
- 4} While printing the ballot papers, names of the contesting candidates with identical symbols, will be grouped together, after considering the condition, as mentioned in Sr.No "2", as above. Reservation of candidate of SC or ST category as well as Women Category will be shown separately within the same panel on the Ballot Paper.
- 5} As per the Rules Governing Election of Delegates, only those shareholders, whose names appear in the Electoral Rolls prepared by the Society are eligible to vote. Copy of the Constituency wise Electoral Rolls, showing the names of shareholders eligible to vote, will also be made available for inspection at the Head Office and at the Branches of the Society and the same will also be available on Society's Website "creccsltd.org" In case, name of any shareholder is omitted/missing from the Electoral Rolls, the shareholder and the contesting candidate is requested to write to the Society on or before 27th May 2024, pointing out the omissions and furnishing his/her full name, designation, station, pay sheet preparing unit and Share Account Number to enable the Society to attach supplementary and correction slips to the Electoral Rolls well in advance/before sending them to the Polling Officers for reference at the time of election.

8. **The Code of Conduct for the Election of Delegates proceedings will be as under:-**

- a] Defacing of stations , office buildings, colonies etc., to be avoided.
- b] No appeal by any of the contesting candidates shall be made to voters on the grounds of religion, politics, caste, community. Any such appeal will be treated as a corrupt practice and may attract appropriate action under the Rules.
- c] No contesting candidate shall indulge in any activity which may cause tension within different categories, cadres, communities, religions.
- d] Criticism of rivals should be confined to their policies and programmes, past records of work. Private life of no individual should be talked about.
- e] Criticism of rival or other workers based on unverified statements should not be made.
- f] Temples, mosques, churches and other places of worship should not be used for propaganda purposes.
- g] Canvassing within 100 meters of polling stations, holding public meetings during 48 hours prior to the start of the Election process are not permitted.



- h] No intimidation of any type or coercion be brought to force any shareholder to vote in a particular manner.
- i] Authorized agents of the contesting candidates shall be issued proper identification cards by the concerned Polling Officer on specific request from the candidates.
- j] Excepting the voters, no one without a valid pass from the Polling Officer shall be allowed to enter a Polling Booth.
- k] No fire arms, no slogan shouting inciting communal/political issues are permitted in and around 100 meters of the voting booth.
- l] No special leave for campaigning will be allowed to any Railway employee or Representative of the candidates.
- m] If any contesting candidate wants to have a gate meeting during lunch hours, prior permission of the Railway Administration would be required. However, no gate meeting will be allowed within 48 hours of Election Date. If more than one intimation is received, the authority in Charge would sort the matter out.
- n] Gift in any form is prohibited.
- o] In addition to the above, any other campaigning activity extraneous, repugnant and contrary to the law of the land, public sensibilities, damage to the Railway property and against staff tranquility, public peace and Railway Policy, will render the defaulter to penal action as decided under the appropriate law.
- p] These Code of Conduct comes into force with effect from 10th April 2024.

This Notification is also available on Society Website: “creccsltd.org”



(Vinita Verma)
Returning Officer,
The Central Railway Employees'
Co-operative Credit Society Ltd.,
665-A, N.M. Joshi Marg,
Byculla, Mumbai 400 027.

Address of the Election Office:

The Central Railway Employees'
Co-operative Credit Society Ltd.,
665-A, N.M. Joshi Marg, (2nd floor)
Byculla, Mumbai 400 027.
Tel Nos. 23005722, Rly. 52123, 52127.

Place : Mumbai .

Date : 1st April 2024.

FORM -A

Date :-

The Chief Manager,
The Central Railway ECC Society Ltd.,
Near Byculla Railway Station,
Mumbai 400 027.

Dear Sir,

I hereby propose Shri/Smt/Miss....., who is a shareholder of the Society of Six Months' standing as on 31st March 2024 for Election as a Delegate to represent shareholders in Constituency against *Open Category/*Reserved Category i.e. SC or ST/ *Woman Category, at the Society's General Body Meeting.

Yours faithfully,

Signature of the proposer
Name in Full as registered in Railway Book (In BLOCK letters)
Designation
Department
Station
Share A/c. No.

I second the proposal, as above. I am a shareholder of the Society of not less than Six Months' standing as on 31st March 2024.

Signature of Secunder
Name in Full as registered in Railway Book (In BLOCK letters)
Designation
Department
Station
Share A/c. No.

I hereby declare, I am willing to stand as a Delegate to represent shareholders in

Constituency against *open category/*Reserved Category i.e. SC or ST/ *Woman category, at the Society's General Body Meeting. I am a shareholder of the Society of Six Months' standing as on 31st March 2024 and my symbol is**

I also declare that, I belongs to ** Reserved Category and in support of that the necessary caste certificate is attached.

Signature of the contesting candidate

Name in full as registered in Railway Book (In BLOCK letters)

Designation

Department

Station

Share A/c, No.

Mobile No.

E-mail.....

Signature

Signature of In-charge of Pay sheet Preparing Unit/Controlling
Officer/ Depot. In Charge with Seal.

INSTRUCTIONS

* Strike out which is not applicable.

** In case of candidate, who desire to contest against Reserve Category i.e. SC or ST Category, he/she is requested to submit Caste Certificate, duly attested by Gazetted Officer.

*** Selection of symbols should be from and out of the symbols mentioned in the Notification only, Symbols other than notified, if chosen, the Nomination form is liable to be rejected.

WITHDRAWAL FORM

To,
The Chief Manager,
The Central Railway ECC Society Ltd.,
Near Byculla Railway Station,
Mumbai 400 027.

Dear Sir,

Sub : Withdrawal of Nomination for Election of Delegates.

I, hereby declare, that I am willfully withdrawing of my Nomination form from the Election of Delegates to represent the shareholders in Constituency at the Society's General Body Meetings.

Thanking you,

Yours faithfully,

.....

(Signature)

Name in Full as registered in Railway Books (in BLOCK LETTERS)

.....

Designation.....Department

Station Share Account No.

NOTE:- IN CASE OF DISPUTES, IF ANY, OR ABOUT INTERPRETATION OF THIS NOTIFICATION, THE ENGLISH VERSION SHALL STAND VALID

निर्वाचन अधिकारी

**दि सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड,
भायखला, मुंबई 400027**

संदर्भ : 84/ईओडी/2024-2029/

दि सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, भायखला, मुंबई 400027 के प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु अधिसूचना

**5 वर्ष की नई अवधि अर्थात्
2024 से 2029 के लिए**

में विनीता वर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी(प्रशासन) ,मध्य रेल,मुंबई तथा निर्वाचन अधिकारी, दि सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, भायखला, मुंबई 400027 एतद् द्वारा सेंट्रल रजिस्ट्रार, केंद्रीय निबंधक. सहकारी संस्था. सहकार मंत्रालय. नवी दिल्ली द्वारा अनुमोदित तथा पंजीकृत प्रतिनिधियों के चुनाव को शासित करने वाले नियमों में यथा वर्णित प्रावधानों के क्रम में दि सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड के संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित चुनाव अधिसूची के अनुसार प्रतिनिधियों के चुनाव के चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करती हूं।

2.सोसायटी के सभी 64 चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों की अपेक्षित संख्या निम्नानुसार होगी:-

क्र.सं.	चुनाव क्षेत्र का नाम	सीमा	प्रतिनिधियों की संख्या (खाली स्थानों की संख्या)
1.	मुंबई छशिमट	ईएमबी सोसायटी,सांविधिक लेखा परीक्षा कार्यालय तथा महानगर परिवहन परियोजना मेट्रोपॉलिटिन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे) में कार्यरत शेरधारकों सहित मुंबई छशिमट (सहित) और मस्जिद (छोड़कर) स्टेशनों के बीच कार्यरत सभी शेरधारक	14 सामान्य 01 महिला 01 अजा या अजजा कुल 16
2.	वाडी बंदर	वाडी बंदर , हाजी बंदर तथा मझगांव के सभी डिपो में कार्यरत शेरधारकों सहित मस्जिद स्टेशन, सेंडहर्स्ट रोड स्टेशन (सहित) से चूनाभट्टी स्टेशन (सहित),किंग सर्कल स्टेशन के सभी शेरधारक	03
3.	भायखला	चिकित्सा विभाग,प्रिंटिंग प्रेस, सिगनल एवं दूरसंचार कारखाना तथा भायखला पार्सल डिपो में कार्यरत शेरधारकों सहित भायखला स्टेशन (सहित) से सेंडहर्स्ट रोड स्टेशन (छोड़कर) पर स्थित सभी विभागों के सभी शेरधारक	05
4.	परेल	लोको कारखाना, परेल तथा सी एंड डब्ल्यू, कारखाना, माटुंगा में कार्यरत शेरधारकों को छोड़कर भायखला स्टेशन (छोड़कर) से माटुंगा स्टेशन (सहित) तथा सामान्य भंडार डिपो परेल तथा परेल लोको ऑफिस बिल्डिंग में स्थित सभी कार्यालयों के सभी शेरधारक	03
5.	परेल कारखाना	भंडार डिपो, बिजली डिपो, लेखा कार्यालय तथा रेल सुरक्षा बल के शेरधारकों सहित लोको कारखाना, परेल के परिसर में कार्यरत सभी शेरधारक	06 सामान्य 01 अजा या अजजा कुल 07

6.	माटुंगा कारखाना	भंडार डिपो, बिजली डिपो, लेखा कार्यालय तथा रेल सुरक्षा बल के शेयरधारकों सहित सी एंड डब्ल्यू कारखाना, माटुंगा के अंतर्गत कार्यरत सभी शेयरधारक	11 सामान्य 01 महिला कुल 12
7.	कुर्ला	कुर्ला कारशेड, डीजल शेड तथा एलटीटी के सभी डिपो के शेयरधारकों (सहित) माटुंगा स्टेशन (छोड़कर) से मुलुंड (सहित) तथा कुर्ला से मानखुर्द (सहित) और ट्रॉम्बे खंड के सभी शेयरधारक	09 सामान्य 01 अजा या अजजा कुल 10
8.	ठाणे	सानपाडा तथा कलवा कारशेड के सभी शेयरधारक (सहित) मुलुंड (छोड़कर) से डोंबिवली (सहित), दिवा-वसई खंड, थाने-वाशी (सहित) के सभी शेयरधारक	05
9.	पनवेल	दिवा (छोड़कर) से रोहा (सहित), पेण-थल खंड, पनवेल-जसई खंड, पनवेल-उरण खंड, जुई नगर- पनवेल खंड के सभी शेयरधारक	03
10.	कल्याण	डोंबिवली (छोड़कर) से दक्षिण पूर्व लाइन पर उल्हासनगर (सहित) तथा उत्तर पूर्व लाइन पर कसारा (सहित) के सभी शेयरधारक	08 सामान्य 01 महिला 01 अजा या अजजा कुल 10
11.	कर्जत	उल्हासनगर स्टेशन (छोड़कर) से पलसधरी स्टेशन (सहित) कर्जत-खोपोली खंड, नेरल-माथेरान खंड तथा कर्जत से पनवेल खंड तथा पनवेल स्टेशन (छोड़कर) के सभी शेयरधारक	02
12.	लोनावला	लोनावला में स्थित पुणे मंडल के शेयरधारकों को छोड़कर पलसधरी स्टेशन (छोड़कर) से लोनावला स्टेशन (सहित) के सभी शेयरधारक	02
13.	इगतपुरी	इगतपुरी में स्थित भुसावल मंडल के शेयरधारकों को छोड़कर कसारा स्टेशन (छोड़कर) से इगतपुरी स्टेशन (सहित) के सभी शेयरधारक	02
		पुणे मंडल	
14.	देहू रोड	लोनावला (छोड़कर) से शिवाजी नगर (सहित) तथा लोनावला स्टेशन पर कार्यरत पुणे मंडल के कार्यालयों के सभी शेयरधारक	01
15.	पुणे	इरीसेन, घोडपरी डीजल शेड तथा घोडपरी और पुणे में स्थित सभी विभागों के शेयरधारकों (सहित) शिवाजीनगर (छोड़कर) से घोडपरी स्टेशन (सहित) के सभी शेयरधारक	05 सामान्य 01 महिला 01 अजा या अजजा कुल 07
16.	लोनी	दौंड में कार्यरत पुणे मंडल के शेयरधारकों सहित हडपसर (सहित) से दौंड (छोड़कर), दौंड-बारामती खंड के सभी शेयरधारक	01
17.	मिरज	घोडपरी (छोड़कर) से कोल्हापुर (छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस) के सभी शेयरधारक	02
		सोलापुर मंडल	
18.	दौंड	दौंड स्टेशन (सहित) से जेऊर स्टेशन (सहित) तक के सभी शेयरधारक, दौंड में कार्यरत पुणे मंडल के शेयरधारकों को छोड़कर, दौंड से रंजनगांव(सहित) तक के सभी शेयरधारक	03
19.	अहमदनगर	रंजनगाँव (छोड़कर) से अंकई (छोड़कर) खंड के सभी शेयरधारक	01
20.	कुर्दुवाडी	जेऊर स्टेशन (छोड़कर) से मलिकपेठ स्टेशन (सहित), पंढरपुर-लातुर तथा कुर्दुवाडी-मिरज खंड के सभी शेयरधारक	03

21.	सोलापुर	मलिकपेठ (छोड़कर) से दुधनी स्टेशन (सहित) के सभी शेयरधारक	03 सामान्य 01 महिला 01 अजा या अजजा कुल 05
22.	वाडी	दुधनी स्टेशन (छोड़कर) से वाडी स्टेशन (सहित) के सभी शेयरधारक	02
भुसावल मंडल			
23.	मुख्य कारखाना प्रबन्धक/कर्षण मोटर कारखाना नासिक	मुख्य कारखाना प्रबंधक नासिक, कर्षण मोटर कारखाना, नासिक के तहत काम करने वाले सभी शेयरधारक, कर्षण मोटर कारखाना नासिक के तहत कार्यरत डब्ल्यूएओ(टीएमडब्ल्यू), एएमएमडी(टीएमडब्ल्यू) तथा कारखाने में कार्यरत रेसुब के सभी भागधारक, संचालक इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक रोड, रेलवे अस्पताल नासिक रोड, एकलहरा एमएसईबी बी साईडिंग, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक (टीएमडब्ल्यू), आरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र नासिक, डीएमओ (टीएमडब्ल्यू) के सभी भागधारक	01
24.	नासिक रोड	इगतपुरी (छोड़कर) से निफाड़ स्टेशन (सहित) तथा एकलहरा मोटर कारखाने तथा इगतपुरी में भुसावल मंडल के कार्यालयों में कार्यरत सभी शेयरधारक	02
25.	मनमाड	निफाड स्टेशन (छोड़कर) से मनमाड (सहित) मनमाड दौड़ खंड में मनमाड से अंकाई(सहित) कार्यरत सभी भागधारक	02
26.	मुख्य कारखाना प्रबंधक(ईडब्ल्यू) मनमाड	मुख्य कारखाना प्रबंधक (ईडब्ल्यू) मनमाड, एकसईएन बीएंडएफ मनमाड, एसएमएम (एमडी) मनमाड, उपनिरीक्षक आरपीएफ (ईडब्ल्यू) मनमाड, WAAO स्टाफ (ईडब्ल्यू) मनमाड, और सिविल इंजीनियरिंग वर्कशॉप के तहत काम करने वाले सभी शेयरधारक	01
27.	नांदगांव	मनमाड स्टेशन (छोड़कर) से नांदगांव स्टेशन (सहित) के सभी शेयरधारक	01
28.	चालीसगांव	नांदगांव (छोड़कर) से चालीसगांव स्टेशन (सहित) तथा चालीसगांव - धुळे खंड के सभी शेयरधारक	01
29.	पाचोरा	चालीसगांव स्टेशन (छोड़कर) से सिरसौली स्टेशन (सहित) तथा पाचोरा-जामनेर छोटी लाइन खंड के सभी शेयरधारक	01
30.	मुख्य कारखाना प्रबंधक(ईएलडब्ल्यू) भुसावल	मुख्य कारखाना प्रबंधक (विद्युत लोको मोटिव कारखाना), भुसावल, उप मुख्य सामग्री प्रबंधक (एसीएल), कारखाना लेखा कार्यालय (डब्ल्यूएओ) (पीओएच) के सभी शेयरधारक, सीनियर ईडीपीएम (पीओएच), कारगिर (पीओएच) में कार्यरत सभी शेयरधारक	02
31.	भुसावल	सिरसौली स्टेशन (छोड़कर) से भुसावल स्टेशन (सहित) तथा विद्युत लोको शेड, भुसावल तथा क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, भुसावल के सभी शेयरधारक	13 सामान्य, 01 महिला, 01 अजा या अजजा कुल 15
32.	खंडवा	भुसावल स्टेशन (छोड़कर) से खंडवा स्टेशन (सहित) के सभी शेयरधारक	03
33.	अकोला	भुसावल स्टेशन (छोड़कर) से अकोला स्टेशन (सहित) तथा जलंब-खामगांव खंड के सभी शेयरधारक	03
34.	मुर्तिजापुर	अकोला स्टेशन (छोड़कर) से मुर्तिजापुर स्टेशन (सहित) के साथ साथ मुर्तिजापुर यवतमाल-अचलपुर छोटी लाइन खंड के सभी शेयरधारक	01
35.	बडनेरा	मुर्तिजापुर जंक्शन (छोड़कर) से बडनेरा स्टेशन (सहित) तथा बडनेरा अमरावती खंड के सभी शेयरधारक	02

नागपुर मंडल			
36.	पुलगांव	बडनेरा स्टेशन (छोड़कर) से वर्धा स्टेशन (छोड़कर) तथा पुलगांव - आर्वी छोटी लाइन खंड के सभी शेयरधारक	01
37.	वर्धा	वर्धा से खापरी (वर्धा सहित), बुटी बोरी(सहित) से उमरेर और वर्धा से हिंगनघाट (छोड़कर) के सभी शेयरधारक	02
38.	बल्लारशाह	हिंगनघाट (सहित), बल्लारशाह, माजरी, वनी-पिंपलकुटी टडाली-घुगुस के सभी शेयरधारक	03
39.	नागपुर	खापरी स्टेशन (छोड़कर) से गोधानी स्टेशन (सहित), अंबाझरी तथा नागपुर में सभी आस्थापनाओं के सभी शेयरधारक	10 सामान्य 01 महिला 01 अजा या अजजा कुल 12
40.	आमला	बैतुल (छोड़कर) से गोधनी और नरखेर(सहित) से अमरावती (छोड़कर) के सभी शेयरधारक	03
41.	घोड़ाडोंगरी	घोड़ाडोंगरी, बैतुल (सहित) से इटारसी (छोड़कर) के सभी शेयरधारक	01
42.	जुन्नारदेव	आमला जंक्शन (छोड़कर) से छिंदवाडा(सहित) के सभी शेयरधारक	01
जबलपुर मंडल			
43.	पिपरिया	इटारसी (छोड़कर) से नरसिंहपुर (छोड़कर) तथा इटारसी में कार्यरत जबलपुर मंडल के सभी शेयरधारक	01
44.	जबलपुर	नरसिंहपुर (सहित) से कटनी (छोड़कर) के सभी शेयरधारक	10 सामान्य 01 महिला 01 अजा या अजजा कुल 12
45.	कटनी	कटनी स्टेशन (सहित) से मैहर स्टेशन (छोड़कर) तथा कटनी-सिंगरौली और कटनी-मुरवारा खंड के सभी शेयरधारक	09
46.	सतना	मैहर स्टेशन (सहित) से मानिकपुर (छोड़कर), झाँसी मंडल के शेयरधारकों को छोड़कर, सतना-रीवा खंड के सभी शेयरधारक	04
47.	दमोह	कटनी-मुरवाडा स्टेशन (छोड़कर) से बीना जंक्शन (छोड़कर) के सभी शेयरधारक	03
भोपाल मंडल			
48.	हरदा	खंडवा स्टेशन (छोड़कर) से टीमरनी स्टेशन (छोड़कर) के सभी शेयरधारक	01
49.	इटारसी	इटारसी स्टेशन (सहित) इटारसी न्यू यार्ड, डीजल शेड, इटारसी और इटारसी से टिमरनी स्टेशन (सहित) के सभी शेयरधारक	08
50.	भोपाल	इटारसी स्टेशन (छोड़कर) से बरेठ (सहित) और संत हिरदाराम नगर (बैरागढ) स्टेशन तक और रेलवे भर्ती बोर्ड, भोपाल, रेलवे दावा अधिकरण, साथ-साथ पश्चिम मध्य रेल के आयआरसीटीसी एवं अन्य रेलवे निगमों के भोपाल में स्थित कार्यालयों में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत सभी शेयरधारक	07 सामान्य 01 महिला 01 अजा या अजजा कुल 09
51.	भोपाल सीआरडब्ल्यू एस	भंडार, बिजली तथा लेखा कार्यालयों (सहित) मुख्य कारखाना प्रबंधक सीआरडब्ल्यूएस, भोपाल के अधीन कार्यरत सभी शेयरधारक	04
52.	गुना	मुंगावली (छोड़कर) से मक्सी (छोड़कर) से ग्वालियर (छोड़कर) के सभी शेयरधारक	03
53.	बीना	बरेठ (छोड़कर) मुंगावली स्टेशन (सहित) के सभी शेयरधारक	04

झांसी मंडल			
54.	झांसी	बीना स्टेशन (छोड़कर) से सिथौली स्टेशन (छोड़कर) तक सभी मंडल कार्यालय, लोको शेड और डीजल शेड, यार्ड तथा सीपीआईडब्ल्यू (उत्तर) झांसी (वीजीएलजे) अर्थात् सिथौली तक के आधिन कार्यरत सभी शेरधारक और झांसी-कानपुर खंड की एट-कुंच खंड के सभी शेरधारक।	17 सामान्य 01 महिला 01 अजा या अजजा कुल 19
55.	झांसी कारखाना	संलग्न भंडार, विद्युत विभाग और रेल्वे सुरक्षा बल के शेरधारकों को (छोड़कर) लेखा विभाग, स्टाफ सिस्टम तकनीकी स्कूल, झांसी और झांसी कारखाने में कार्यरत एस.ई.ई. के शेरधारक तथा लेखा परिक्षा और डिस्पेंसरी के सभी भागधारक, झांसी कारखाना के अंतर्गत कार्यरत सभी विभागों के सभी शेरधारक।	07
56.	झांसी कार्यशाला कोच मिडलाइफ पुनर्वास कार्यशाला निर्वाचन क्षेत्र (झांसीवर्कशॉप/सीएमएलआर निर्वाचन क्षेत्र)	संलग्न भंडार विभाग एमएलआर कारखाना में सभी विभाग में कार्यरत भागधारक, रेल सुरक्षा बल कर्मचारी और विद्युत विभाग में कार्यरत सभी शेरधारक।	01
57.	ग्वालियर	आंतरी स्टेशन (छोड़कर) से धौलपुर (छोड़कर), ग्वालियर-भिंड(छोड़कर) इटावा स्टेशन और ग्वालियर-शिवपुरकलान छोटी लाईन खंड के शेरधारक।	05
58.	बांदा	विरंगाना लक्ष्मीबाई झांसी (वीजीएलजे)(छोड़कर) से मानिकपुर जंक्शन (छोड़कर) खैरार जंक्शन से भीमसेन स्टेशन (छोड़कर)	03
59.	मानिकपुर	चिथरा स्टेशन (सहित) से नैनी स्टेशन (छोड़कर) के सभी शेरधारक	01
आगरा मंडल			
60.	आगरा कैंट	धौलपुर (सहित) से राजा-की-मंडी (सहित) तक, टूंडलाबयाना खंड और आगरा किला-बांदीकुई खंड के शेरधारक और साथ ही धौलपुर-सिरमुत्रा और मोहरी-तांतपुर छोटी लाईन, भांडई से इटावा (छोड़कर) के सभी शेरधारक।	06 सामान्य 01 महिला 01 अजा या अजजा कुल 08
61.	मथुरा	राजा की मंडी स्टेशन (छोड़कर) से पलवल तक, मथुरा से अलवर, मथुरा से अछनेरा, मथुरा से वृंदावन खंड के सभी शेरधारक	04
62.	कोसीकलान	अजई(सहित) से पलवल(छोड़कर) के सभी शेरधारक	01
कोकण रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड			
63.	रत्नागिरी	बेलापुर(सहित) से मडुरे(सहित) के सभी शेरधारक	02
64.	कारवार	मडुरे(छोड़कर) से ठोकुर(सहित) के सभी शेरधारक	02
कूल			274

परंतु यह और कि मुंबई मंडल को (छोड़कर) प्रत्येक मंडल मुख्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल प्रतिनिधियों में से एक स्थान महिला प्रतिनिधियों तथा एक स्थान अजा अथवा अजजा प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित होगा।

मुंबई मंडल के लिए मुंबई मनपा की सीमा के अंतर्गत अर्थात् मुलुंड तक इस चुनाव क्षेत्र में निम्न विवरण के अनुसार प्रतिनिधि का एक स्थान महिला प्रतिनिधि तथा एक स्थान अजा अथवा अजजा प्रतिनिधि के लिए आरक्षित होगा:

महिला श्रेणी : मुंबई मनपा की सीमा अर्थात् मुलुंड तक

1. मुंबई छशिमट चुनाव क्षेत्र
2. माटुंगा कारखाना चुनाव क्षेत्र

अजा अथवा अजजा श्रेणी : मुंबई मनपा की सीमा अर्थात मुलुंड तक

1. मुंबई छशिमट चुनाव क्षेत्र
2. परेल कारखाना चुनाव क्षेत्र
3. कुर्ला चुनाव क्षेत्र

महिला श्रेणी : मुंबई मनपा की सीमा से आगे अर्थात मुलुंड से आगे

1. कल्याण चुनाव क्षेत्र

अजा अथवा अजजा श्रेणी : मुंबई मनपा की सीमा से आगे अर्थात मुलुंड से आगे

1. कल्याण चुनाव क्षेत्र

आरक्षित श्रेणी अर्थात अजा/अजजा के स्थान पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे जाति का उल्लेख करते हुए यह दर्शाए कि वे अजा/अजजा श्रेणी से संबंधित हैं तथा यह वेतनपत्रक तैयार करनेवाली यूनिट / नियंत्रण अधिकारी / डिपो प्रभारी द्वारा अप्रेषित करना आवश्यक है **और किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित जाति प्रमाणपत्र की प्रति अवश्य जमा करनी होगी। बिना जाति प्रमाण पत्र के जमा किए गए सभी नामांकन फार्म रद्द माने जाएंगे।**

महिला श्रेणी में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से भी अपेक्षा है कि वे घोषित करें कि वह महिलाओं के लिए चिन्हित चुनाव क्षेत्र से महिला श्रेणी में चुनाव लड़ रहे हैं।

3.केवल वही शेरधारक जिनकी दिनांक 31 मार्च 2024 को सदस्यता छह माह से अधिक है, जिनका नाम सोसायटी द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची (अथवा उसके लिए जारी की गई अनुपूरक सूची / संशोधन पर्ची) में लिखा हो तथा जो प्रतिनिधियों के चुनाव को शासित करने वाले नियमों से नियम 5 (क) में निहित शर्तों (पुनः नीचे दी जा रही हैं) को पूरा करते हैं, से अनुरोध है कि चुनाव हेतु फॉर्म क (संलग्न) में अपना नामांकन प्रस्तुत करें।

4.चिन्हों का चयन नीचे दिए गए चिन्हों में से ही किया जाए। **निम्नलिखित चिन्हों के अलावा कोई दूसरा चिन्ह चुना जाता है तो नामांकन फार्म रद्द समझा जाएगा।**

विमान	बरगद का पेड़	घंटी	बस	गाय
अलमारी	ढाल तलवार	हथोड़ा	घोड़ा	झोंपड़ी
लैंप	शेर	मोटर	नगारा	पेन
खरगोश	उगता सूरज	गुलाब	स्केल	जहाज
टेबल फैन	टेलीफोन	टेलीविजन	ट्रैक्टर	छाता

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नमूना फॉर्म "क" जैसे फॉर्म सोसायटी के शाखा प्रबंधकों साथ साथ मुख्य कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

पूर्ण रूप से भरे हुए नामांकन फॉर्म "क" शुक्रवार दिनांक 03.05.2024 तक शाम 5 बजे तक केवल सोसायटी के मुख्य कार्यालय, 665 ए, एन.एम.जोशी मार्ग, भायखला, मुंबई-400027 में जमा कर सकते हैं।

अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त नामांकन फॉर्मों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

यदि उम्मीदवारों को अपना नामांकन फार्म डाक द्वारा भेजने का है, तो उन्हें पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा, सोसायटी के मुख्य कार्यालय के ऊपर दिये गए पंजीकृत पते पर निर्धारित तिथि तथा समय के अनुसार पहुंचना अनिवार्य है। यदि डाक द्वारा नामांकन पहुंचने में विलंब हुआ तो उसके बारे में कोई भी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी।

सोसायटी के प्रतिनिधियों के चुनाव को शासित करने वाला नियम 5 (क) :

प्रत्येक उम्मीदवार जो प्रतिनिधि के रूप में नामांकन भरना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए:-

1. वे इन नियमों के साथ संलग्न नामांकन फॉर्म के रूप में भरकर जमा करें,
 2. नामांकन फॉर्म पर प्रस्तावक और समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करने वाले दो शेयरधारकों (सहित) वह उसी चुनाव क्षेत्र जिसका वह प्रतिनिधि बनना चाहते हैं , में पदस्थ होने चाहिए।
 3. उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक और समर्थक चुनाव होने वाले वर्ष की 31 मार्च को कम से कम छह माह की अवधि तक सोसायटी के सदस्य होने चाहिए।
 4. वह सोसायटी में नियमित रूप से सीएमटीडी की राशि का भुगतान करता हो।
 5. उसके आचरण से उपनियम 16 के प्रावधानों पर कोई परिणाम नहीं होना चाहिए ।
 6. वह पिछले स्वीकृत कर्ज की तारीख से नामांकन भरने की तारीख तक सोसायटी के व्यक्तिगत कर्ज और/या सीएमटीडी योजना में तीन माह की अवधि से स्वैच्छिक रूप से डिफाल्टर न रहा हो।
 7. सोसायटी द्वारा प्रस्तावित चिन्हों में से उसने कोई एक चिन्ह अपनाया हो।
- (ख) यदि किसी चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों के द्वारा अपेक्षित खाली स्थानों की संख्या से अधिक एक समान चिन्हों को अपनाया हो तो ऐसे मामले में चुनाव अधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी भी उम्मीदवार को दूसरा चिन्ह आबंटित करके उस संख्या को ठीक करें।
- (ग) प्रतिनिधि के चुनाव के लिए नामांकन भरते समय उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके चुनाव जीतने की स्थिति में सोसायटी के साथ रहने के कारण रेलवे प्रशासन के कार्य में यथासंभव परिस्थितियों में कम से कम व्यवधान पड़े।

5. चुनाव कार्यक्रम निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	विवरण	दिन/दिनांक	समय
1.	नामांकन भरना और प्राप्त करना	बुधवार 10 अप्रैल, 2024 से शुक्रवार 3 मई, 2024 तक	सुबह 10.00 से शाम 17.00 बजे तक कार्य दिवसों में
2.	नामांकन फार्मों की जांच	शुक्रवार 10 मई, 2024 से मंगलवार 21 मई, 2024 तक	सोसायटी के सामान्य कार्य समय में
3.	वैध नामांकन फार्मों का प्रकाशन	बुधवार 22 मई, 2024	17.00 बजे से पहले
4.	नामांकन फार्मों के रद्द होने के कारणों को बताना	सोमवार 27 मई, 2024 से गुरुवार 30 मई, 2024 तक	सोसायटी के कार्य समय के दौरान 17.00 बजे तक
5.	नामांकन फार्मों के रद्द होने के संबंध में प्रतिवेदनों, यदि कोई हो, को प्राप्त करना	मंगलवार 4 जून, 2024 से शुक्रवार 7 जून, 2024 तक	सोसायटी के कार्य समय के दौरान 17.00 बजे तक
6.	नामांकन फार्मों के वापस लेने की अंतिम तारीख	मंगलवार 11 जून, 2024	17.30 बजे तक
7.	उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करना	बुधवार 12 जून, 2024	17.30 बजे तक
8.	चुनाव की तारीख	बुधवार 26 जून, 2024	-----
9.	मतगणना की तारीख	गुरुवार 27 जून, 2024	-----

6. छद्मता को रोकने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि सोसायटी के शेयरधारक निम्नलिखित में से कोई एक पहचान पत्र मतदान के समय अपने साथ लाएं:-

- क) फोटो पहचानपत्र अर्थात आधार कार्ड, मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि (इनके समान और कोई भी)
- ख) रेलवे पहचान पत्र
- ग) आवासीय कार्ड पास विभाग द्वारा जारी नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा उस पर लगे हुए फोटो पर शेयरधारक के हस्ताक्षर (सहित) धारक पत्र के साथ मान्य होगा।
- घ) चिकित्सा पहचान पत्र
- च) विभाग द्वारा जारी किए गए धारक पत्र जिस पर लगे हुए फोटो पर शेयरधारक के हस्ताक्षर हों, के साथ सोसायटी द्वारा जारी किया गया शेयर प्रमाण पत्र, या
- छ) विभाग द्वारा जारी किए गए धारक पत्र जिस पर लगे हुए फोटो पर शेयरधारक के हस्ताक्षर हों।

चुनावों को विधिवत और सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि शेयरधारक उनके लिए निश्चित किए गए क्षेत्र/बूथ में ही मतदान करें।

उपर्युक्त सूचना के अनुसार चुनाव कार्यक्रम, के तहत चुनाव की तिथि बुधवार 26 जून 2024 है।

7. जांच समिति द्वारा नामांकन पत्रों की जांच के पश्चात:

1. यदि किसी चुनाव क्षेत्र के अपेक्षित खाली स्थानों के लिए प्राप्त वैध नामांकनों की संख्या अधिक है तो उस चुनाव क्षेत्र के लिए मतदान कराया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले पात्र उम्मीदवारों के नाम उनके साथ चुने गए निशानों को प्रकाशित किया जाएगा।
2. उम्मीदवार नामांकन पत्र में अपनी पसंद का चुनाव चिन्ह चुन सकते हैं। इसके बाद, वे एक समान चुनाव चिन्ह पर एक पैनल के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अपना समूह बना सकते हैं, और इस आशय का एक संयुक्त लिखित अनुरोध कर सकते हैं। जिस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथासंभव विचार किया जाएगा। इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकार्य होगा।
3. यदि किसी चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों के द्वारा अपेक्षित खाली स्थानों की संख्या से अधिक एक समान चिन्हों को अपनाया हो तो ऐसे मामले में चुनाव अधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी भी उम्मीदवार को दूसरा चिन्ह आबंटित करके उस संख्या को ठीक करे।
4. मतपत्रों की छपाई के समय उपर्युक्त क्रम संख्या 2 में वर्णित शर्तों पर ध्यान देने के बाद चुनाव उम्मीदवारों के नाम का एक समान चिन्हों का अपना ग्रुप बनाया जाएगा। मतपत्र पर महिला श्रेणी के साथ-साथ अजा/अजजा श्रेणी के उम्मीदवारों का आरक्षण भी उसी पैनल के अंतर्गत अलग से दर्शाया जाएगा।
5. प्रतिनिधियों के चुनाव को शासित करने वाले नियमों के अनुसार केवल वे ही शेयरधारक मतदान के पात्र हैं जिनके नाम सोसायटी द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची में विद्यमान हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मतदान के पात्र शेयरधारकों के नाम दर्शाने वाली क्षेत्रवार मतदाता सूचियों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएगी। सोसायटी के मुख्यालय और शाखा कार्यालयों में साथ ही साथ सोसायटी की वेबसाइट www.creccsltd.org पर भी निरीक्षण के लिए ऐसी मतदाता सूचियों की प्रतियां उपलब्ध रहेगीं। मतदाता सूची में किसी भी शेयरधारक का नाम छूटने/गायब होने के मामले में शेयरधारक और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से अनुरोध है कि गलती को बताते हुए अपना नाम, पदनाम, स्टेशन, वेतन पत्रक बनाने वाली यूनिट तथा शेयर खाता क्रमांक आदि का पूरा विवरण देते हुए 27 मई 2024 अथवा इससे पहले सूचित करें ताकि सोसायटी चुनाव के समय संदर्भ हेतु चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूची भेजते समय उनके साथ अनुपूरक सूची या संशोधन पर्ची संलग्न कर सके।

8. प्रतिनिधियों के चुनाव प्रक्रिया के लिए आचार संहिता निम्नानुसार है:-

- क) स्टेशन, कार्यालय बिल्डिंगों, कॉलोनियों आदि को गंदा करने से बचा जाए।
- ख) धर्म, राजनीति, जाति, समुदाय आदि के स्तर पर किसी भी मतदाता से उम्मीदवारों द्वारा वोट मांगने की अपील न की जाए। ऐसी कोई भी अपील गलत प्रक्रिया मानी जाएगी और उपनियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी।
- ग) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में लिप्त या शामिल नहीं होंगे जिससे विभिन्न श्रेणियों, संवर्गों, समुदायों तथा धर्मों के बीच तनाव पैदा हो।

- घ) किसी भी उम्मीदवार के निजी जीवन से संबंधित कोई भी टिप्पणी / बदले की भावना अथवा आलोचना से बचा जाए।
- च) अन्य कामगारों के प्रति अशोभनीय बयानों या बदले की भावना से आलोचना करने से बचा जाए।
- छ) प्रचार उद्देश्य के लिए मंदिरों, मस्जिदों, चर्च या अन्य पूजा स्थलों का उपयोग न किया जाए।
- ज) मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले, मतदान स्थल से 100 मीटर के भीतर किसी भी तरह का प्रचार / बैठक की अनुमति नहीं होगी।
- झ) शेर धारक द्वारा किसी भी तरह की गलती से दिए गए मत में कोई संशोधन मान्य नहीं होगा।
- ट) उम्मीदवार द्वारा संबंधित मतदान अधिकारी से अनुरोध के पश्चात चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंटों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।
- ठ) मतदाता के अलावा मतदान अधिकारी की अनुमति के बिना मतदान केंद्र में जाने की इजाजत नहीं होगी।
- ड) मतदान स्थल से 100 मीटर के आस-पास किसी भी प्रकार की फायरिंग, सांप्रदायिक/राजनीतिक मुद्दों पर नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी।
- ढ) किसी भी रेल कर्मचारी अथवा उम्मीदवार के प्रतिनिधि को प्रचार हेतु विशेष छुट्टी नहीं दी जाएगी।
- त) यदि कोई उम्मीदवार लंच समय में गेट मीटिंग का आयोजन करना चाहता है तो अग्रिम रूप से प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता होगी फिर भी मतदान तारीख से 48 घंटे के अंदर किसी भी प्रकार की गेट मीटिंग की अनुमति नहीं है। यदि गेट मीटिंग के लिए एक से अधिक अनुरोध प्राप्त होते हैं तो प्राधिकारी अपने विवेक से इसका समाधान करेंगे।
- थ) किसी भी रूप में उपहार प्रतिबंधित है।
- द) उपर्युक्त के अलावा उस स्थान, सार्वजनिक संवदेनशीलता, रेलवे संपत्ति का नुकसान, कर्मचारियों की शांति, सार्वजनिक शांति तथा रेलवे नीतियों के खिलाफ विरोधी या असंगत प्रकार के प्रचार की अनुमति नहीं है। ऐसा करने पर दोषी के खिलाफ नियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी।
- ध) यह आचार संहिता 10 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी।

यह चुनाव अधिसूचना सोसायटी की वेबसाइट www.creccsltd.org पर भी उपलब्ध है।

हस्ताक्षर

(विनीता वर्मा)

निर्वाचन अधिकारी

दि सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज

को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड,

665 ए,एन.एम.जोशी मार्ग, दूसरी मंजिल,

भायखला, मुंबई-400027.

मतदान कार्यालय का पता:-

दि सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज

को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड,

665 ए,एन.एम.जोशी मार्ग, दूसरी मंजिल,

भायखला, मुंबई-400027.

टेलीफोन: 23005722,

रेलवे : 52123, 52127

स्थान : मुंबई

दिनांक : 1 अप्रैल 2024

फॉर्म क

सेवा में,

श्रीमान मुख्य प्रबंधक,

दि सेंट्रल रेलवे ईसीसी सोसायटी लि.,

भायखला रेलवे स्टेशन के पास,

मुंबई-400 027

प्रिय श्रीमान,

मैं एतद्वारा श्री/ श्रीमती/सुश्री जो कि दिनांक 31 मार्च 2024 को पिछले छह माह से अधिक समय से सोसायटी के शेयरधारक हैं, का नाम, सोसायटी की जनरल बॉडी बैठक में *सामान्य/*आरक्षित श्रेणी अर्थात अजा अथवा अजजा/*महिला श्रेणी के अंतर्गत क्षेत्र से शेयरधारकों के प्रतिनिधि के लिए होने वाले चुनाव हेतु प्रस्तावित करता हूँ।

भवदीय

प्रस्तावक के हस्ताक्षर :.....

पूरा नाम, रेलवे रिकार्ड के अनुसार (स्पष्ट अक्षरों में) :.....

पदनाम :.....

विभाग :.....

स्टेशन :.....

शेयर खाता संख्या :.....

मैं उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं दिनांक 31 मार्च 2024 को पिछले छह माह से अधिक समय से सोसायटी का शेयरधारक हूँ।

समर्थक के हस्ताक्षर :.....

पूरा नाम, रेलवे रिकार्ड के अनुसार (स्पष्ट अक्षरों में) :.....

पदनाम :.....

विभाग :.....

स्टेशन :.....

शेयर खाता संख्या :.....

में सोसायटी की जनरल बॉडी बैठक में *सामान्य/*आरक्षित श्रेणी अर्थात अजा अथवा अजजा/*महिला श्रेणी के अंतर्गत क्षेत्र से शेयरधारकों के प्रतिनिधि के लिए होने वाले चुनाव हेतु अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ। मैं दिनांक 31 मार्च 2024 को पिछले छह माह से अधिक समय से सोसायटी का शेयरधारक हूँ तथा मेरा चुनाव चिन्ह *** है।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि मैं आरक्षित श्रेणी** से संबंधित हूँ तथा इसके समर्थन में आवश्यक जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

चुनाव प्रत्याशी के हस्ताक्षर :.....

पूरा नाम, रेलवे रिकार्ड के अनुसार (स्पष्ट अक्षरों में) :.....

पदनाम :.....

विभाग :.....

स्टेशन :.....

शेयर खाता संख्या :.....

मोबाइल नंबर :

ई-मेल :

हस्ताक्षर

वेतन पत्रक तैयार करने वाले प्रभारी/ नियंत्रण
अधिकारी/ डिपोप्रभारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

निर्देश

* जो लागू न हो उसे काट दें।

** आरक्षित श्रेणी अर्थात अजा अथवा अजजा श्रेणी के अंतर्गत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत साक्षात्कृत जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

*** चिन्हों का चयन केवल अधिसूचना में दिए गए चिन्हों में से ही किया जाना चाहिए, अधिसूचित चिन्हों के अलावा चुने गए चिन्ह के मामले में आवेदन रद्द हो जाएगा।

नाम वापसी फार्म

सेवा में,
श्रीमान मुख्य प्रबंधक,
दि सेंट्रल रेलवे ईसीसी सोसायटी लि.,
भायखला रेलवे स्टेशन के पास,
मुंबई-400 027

प्रिय श्रीमान,

विषय:- प्रतिनिधि चुनाव से नाम वापस लेना

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैं स्वेच्छा से सोसायटी की जनरल बॉडी बैठक में क्षेत्र से शेयरधारकों के प्रतिनिधि के लिए होने वाले चुनाव से अपना नामन फार्म वापस लेता हूँ ।

सधन्यवाद
भवदीय

.....
(हस्ताक्षर)

पूरा नाम, रेलवे रिकार्ड के अनुसार (स्पष्ट अक्षरों में) :.....

पदनाम :.....

विभाग :.....

स्टेशन :.....

शेयर खाता संख्या :.....

